No.RT-11028/01/2018-MVL

Government of India

Ministry of Road Transport &Highways

(MVL Section)

Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi-110001

Dated : 13.4.2018

Subject : **Amendment in CMVR, 1989 for High Security Registration Plates and proposed draft order.**

Ministry of Road Transport & Highways proposes to make amendments in the Central Motor Vehicle Rules with regard to the installation of High Security Registration Plates on motor vehicles. Accordingly, a draft GSR No. 356(E) has been published on 10.4.2018. Along with the amendment in the rule, it is also proposed to issue a Motor Vehicle (New High Security Registration Plate) Order 2018 replacing the earlier Motor Vehicle (New High Security Registration Plate) Order 2001. The proposed HSRP order 2018 is also hereby being published for the comments from the general public and the stakeholders. The comments or suggestions if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), email: js-tpt@gov.in, Ministry of Road Transport & Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 10, 2018/चैत्र 20, 1940
No. 229] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 10, 2018/CHAITRA 20, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 356 (अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जब इस अधिसूचना की प्रतियॉं, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध करा दी जाती है से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

2. केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत् ऐसे किन्ही आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा।

3. इन प्रारूप नियमों की बाबत, आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव(परिवहन), भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 या ई–मेलः js-tpt@gov.in को भेजे जा सकेंगें।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये 1 जनवरी, 2019 को प्रवृत होंगें।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 50 में, उप–नियम (1) के खण्ड (i) में शब्द "पॉच" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह" रखा जाएगा।

3. नियम 50 में, उप–नियम (1) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात;

परन्तु यह कि जहॉ भी आवश्यक हो तीसरे पंजीकरण चिन्ह सहित सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट वाहन निर्माताओं द्वारा 1 जनवरी 2019 को या उसके बाद निर्मित सभी वाहनों के साथ आपूर्ति की जाएगी और उनके डीलर ऐसे प्लेटों पर पंजीकरण का निशान रखेंगे और उसे ऑटोमोबाइल पर लगाएगें।

परन्तु यह भी कि वाहन निर्माताओं के डीलर पंजीकरण के बाद पुराने वाहनों पर वाहन निमाताओं द्वारा आपूर्ति की गई ऐसी प्लेटों पर रजिस्ट्रीकरण संख्या लिख कर लगा सकते हैं। "

4. केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 में, नियम 124 के उप–नियम (4) के सारणी के कम सं0 21 के पश्चात् निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाएगा :

22	अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट	नियम 50	1 जनवरी, 2019.

[फा.सं. आर.टी.11028/01/2018–एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव,

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग– II, खंड 3, उपखंड (i) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. (अ), तारीख द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2018

G.S.R. 356(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise the powers conferred by section 110 the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby

published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

2. The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport),email: js-tpt@gov.in,Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. (i) These rules may be called the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2018.

   (ii) They shall come into force w.e.f 1st day of January, 2019.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred to as the principal rules), in rule 50, in sub-rule (1),in clause (i), the words "five" shall be substituted with "fifteen".

3. In rule 50, in sub-rule (1),the first proviso shall be substituted with -

   "Provided that the security licence plate including the third registration mark, wherever necessary, shall be supplied by the vehicle manufacturers along with all the vehicles manufactured on or after 1st day of January, 2019 and their dealers will place a mark of registration on such plates and affix them on the automobiles.

   Provided further that the dealers of the vehicle manufacturers may also affix such plates, supplied by the vehicle manufacturers, on old vehicles after placing the registration mark."

4. In rule 124, in sub-rule (4) in the TABLE after Sl.No. 21, the following be added -

22	HSRP	Rule 50	1st January 2019

[F. No. RT-11028/01/2018-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. _____(E) dated ______.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.04.12 18:23:16 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

प्रारूप

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली

का.आ. (अ).– केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह आवश्यक और समीचीन है कि मोटरयान के लिए नई अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेटों की और केन्द्रीय मोटरयान (पहला संशोधन) नियम, 2001 द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियम,1989 में किए गए संशोधनों के प्रति निर्देश से ऐसी प्लेटों के विनिर्माण या प्रदाय के लिए किसी विनिर्माता या विक्रेता द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया की नयी प्रणाली के संबध में कतिपय मानदंड अधिसूचित किए जाएं, अतः वह केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उपधारा (3) द्वारा प्रद्वत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोटरयान (नयी अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट्स) आदे ा, 2001 के स्थान पर निम्नलिखत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

आदेश

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोटरयान (अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) आदेश, 2018 है।
2. यह आदेश 01 जनवरी, 2019 से प्रवृत्त होगा।
3. **लागू होना**– यह आदेश मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (28) में यथा परिभाषित मोटरयानों को लागू होगा।
4. मोटरयानों का विनिर्माता या अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट का विनिर्माता का या प्रदायकर्ता निम्नलिखित विनिर्देशों का अनुपालन करेगा, अर्थात्–

(i) मोटरयानों का विनिर्माता, या अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट का विनिर्माता या अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट का प्रदायकर्ता, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, या केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 126 के अध्यधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी परीक्षण अभिकरण से प्रकार अनुमोदन प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगा। केन्द्रीय वाहन विनिर्माता अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट विनिर्मित कर सकेगा और उपरोक्तानुसार अनुमोदन प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सकेगा या उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट के ऐसे विर्निमाता, जिसने इस प्रकार के प्लेट के लिए अनुमोदन प्रमाण–पत्र रखा हो से भी अनुमोदन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेगा।

(ii) रजिस्ट्रीकरण प्लेट केन्द्रीय मोटरयान नियम,1989 के नियम 50 में उपवर्णित विनिर्देशों के अनुरूप होगी।

(iii) केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 में यथाविर्निष्ट, अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट की आयु 15 वर्षों के लिए प्रत्याभूति दी गयी होगी। प्लेट या रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के क्षतिग्रस्त होने या प्राकृतिक रूप से नियम 50 में विनिर्दिष्ट आयु के पूर्ण होने के पूर्व इसे अति सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट को लगाने वाले मोटर वाहन प्रदायकर्ता द्वारा दी गयी प्रत्याभूति के अनुरूप प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा। पुराने यानों की दशा में, उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट लगायी या प्रदाय की गयी अभिकरण, राज्य सरकार द्वारा ऐसे अभिकरण को सम्बद्ध करते समय निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वयं के लागत पर, प्रतिस्थापित करने के लिए उत्तरादायी होगी।

(iv) किसी भी विद्यमान रजिस्ट्रीकरण प्लेट का प्रतिस्थापन संबधित परिवहन प्राधिकारी या प्राधिकृत अभिकरण या मोटर यानों के प्रदायकर्ता, जैसा भी मामला हो, द्वारा पूराने प्लेट के अभ्यर्पित या विनष्ट किया जाना सुनिश्चित किये जाने के बाद ही किया जा सकेगा।

(v) कूट रचना से संरक्षण के लिए 20 मिलीमीटरX20 मिलीमीटर आकार का एक क्रोमियम आधारित होलोग्राम प्लेट के शीर्षस्थ बाई ओर के कोने पर सामने और पीछे दोनो प्लेटों पर ताप स्टांपन द्वारा लगाया जाना है । होलोग्राम में इस आदेश से संलग्न उपाबंध के अनुसार नीले रंग का चक्र बना होगा।

(vi) कम से कम 10 अंको की स्थायी पहचान संख्यांक, रजिस्ट्रीकरण प्लेट के तल के बाई ओर परावर्ती शीट में लेजर ब्रेंड की जानी है जिसमे अंक आकार 2.5 मिलीमीटर का होगा।

किन्तु प्रतिबंध यह है कि अस्थायी कमागत पहचान संख्यांक के पहले विक्रेता या विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता, जैसा मामला हो, जिसके लिये प्रकार अनुमोदन प्रमाण पत्र परीक्षण अभिकरणो द्वारा जारी किये गये है: के नाम का व्यपदेशन करती हुई दो अक्षर होगें;

किन्तु अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि स्थायी कमागत पहचान संख्यांक के पहले विक्रेता या विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता, जैसा मामला हो, जिसके लिये प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र परीक्षण अभिकरणों द्वारा जारी किये गये हैं, के नाम का व्यपदेशन करती हुयी दो अक्षर होंगे:

किन्तु अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि नीचे तालिका के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अभिकरणों कथित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट अक्षरों का प्रयोग, निम्नवत करेगी:–

सारणी

कम0सं0	परीक्षण अभिकरण का नाम	प्रथम वर्ण	द्वितीय वर्ण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आटोमोटिव रिसर्च एसोसियेशन आफ इण्डिया, पुणे	ए से डी	ए से जेड
2.	केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, पुणे	ई से एच	ए से जेड
3.	केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	आई से एल	ए से जेड
4.	ग्लोबल आटोमोटिव रिसर्च सेंटर, चेन्नई।	एम से पी	ए से जेड
5.	यान अनुसंधान विकास स्थापन, अहमदनगर	क्यू से एस	ए से जेड
6.	अंतरराष्ट्रीय आटोमेटिव प्रौद्योगिकी केंद्र, मनेसर	टी से वी	ए से जेड

किन्तु प्रतिबंध यह भी है कि अंको की ऊँचाई सामने की और पीछे की रजिस्ट्रीकरण प्लेटों के लिये 5 मिमी0 और तृतीय रजिस्ट्रीकरण प्लेट के लिये 2.5 मिमी0 होगी, जो एक स्टिकर के प्ररूप में होगी।

(vii) अनुज्ञापन संख्यांक के अक्षरों/अंको पर प्रयोजित की जाने वाली हाट स्टैम्पिंग फिल्म उत्कीर्णलेख "INDIA" धारित करेगी। अक्षरों "INDIA" अन्य का दर्पण प्रतिबिम्ब होती हुयी कमागत रेखाओं के साथ 45 अंश के झुकाव पर एरियल बोल्ड टाइप की लिपि में सामने के 10(दस) के आकार के साथ नीले रंग में होगी।

(viii) स्व–विध्वंशकारी प्रकार की कोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर के प्ररूप में तृतीय रजिस्ट्रीकरण प्लेट 100 मिमी0 X 50 मिमी0 के आकार की होगी, वाहन के वायु रोधी के बायें हाथ के किनारे के अंदर की तरफ चस्पा की जानी है। स्टिकर पर (क) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का नाम, (ख)वाहन की रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (ग)लेजर ब्रांड की स्थायी पहचान संख्यांक (घ) इंजन संख्यांक, और (ड़) यान की चेसिस संख्यांक के ब्यौरे होगें। स्टिकर के दायें कोनों के तल पर नीचे कोमियम आधरित होलोग्राम लगाया जायेगा किन्तु 10 मिमी0 X 10मिमी0 के लघु आकार का होगा। उक्त स्टिकर में यान का रजिस्ट्रीकरण संख्यांकंक केन्द्र में होगा और अक्षरों की ऊँचाई 10 मि0मी0 होगी। लेजर ब्राण्ड वाला स्थायी पहचान संख्यांक, इंजन संख्यांक और चेसिस संख्यांक प्रत्येक मामलें में 2.5 मिमी0 आकार के अंको के साथ स्टिकर के तल में बॉयी ओर आयेगें। स्टिकर का चित्र इस आदेश से संलग्न उपाबन्ध मे विनिर्दिष्ट रेखाचित्र में दिया गया है। स्टिकर की फिल्म अनिवार्यतः उच्च परावर्ती अभिसूचक सहित डिफ्रेक्शन फॉयल की होनी चाहिए और उसमें कोमियम आधारित होलोग्राम जुड़ा हुआ होगा।

(ix) मोटरयान के विनिर्माता या अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट के विनिर्माता, जैसा भी मामला हो के द्वारा जारी किये गये रजिस्ट्रीकरण प्लेट का एक समुचित अभिलेख अनुरक्षित किया जायेगा। अभिकरण मोटरयानों पर प्लेट लगाने के लिये जिम्मेदार अभिकरण ऐसे प्लेट के अभिलेखों का अनुरक्षित करेगा और मोटरयान पर लगाये जाने के पश्चात स्थायी कमागत पहचान संख्यांक को पंजीकरण डाटा बेस से इलेक्ट्रानिकली लिंक किया जायेगा। मोटरयान विनिर्माता या रजिस्ट्रेशन प्लेट विनिर्माता, जैसा भी मामला हो, से सम्बंधित अभिकरण इस आदेश के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगी।

(x) अपूर्ण प्लेट या अपूर्ण सुरक्षा मानकों वाले प्लेट्स को उनके विनिर्माताओ द्वारा पृथक से बिक्री नहीं की जायेगी।

(xi) विनिर्दिष्ट प्राविधानों का अनुपालन न करने पर संबंधित परीक्षण अभिकरण के अति सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट के विनिर्माण हेतु निर्गत प्रकार अनुमोदन प्रमाण–पत्र का निलम्बन या निरस्तीकरण किया जा सकेगा।

(xii) यान के पीछे फिट की गयी रजिस्ट्रीकरण प्लेट न हटाये जाने योग्य/ पुनः प्रयोग न किये जाने योग्य स्नैप लॉक सिस्टम से जोड़ी जायेगी। बेहतर सुरक्षा के लिये कम से कम दो ऐसे स्नैप लॉक फिट किये जायेगे।

(xiii) विद्यमान रजिस्ट्रीकरण प्लेट का बदलाव, यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि पुरानी प्लेट को अभ्यर्पित या विनष्ट कर दिया गया है, नये प्लेट लगाये जाने के लिए उत्तरदायी अभिकरण द्वारा किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिस्थापन पर वाहन के पंजीकरण संबंधी डाटाबेस में युक्तियुक्त प्रविष्टियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जायेगा।

उपाबन्ध

HOLOGRAM
(Front & Rear
Registration
Plate)

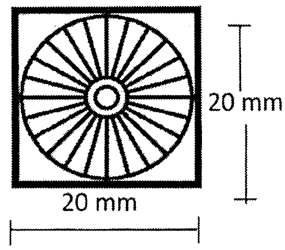

STICKER
(Third
Registration
Plate)

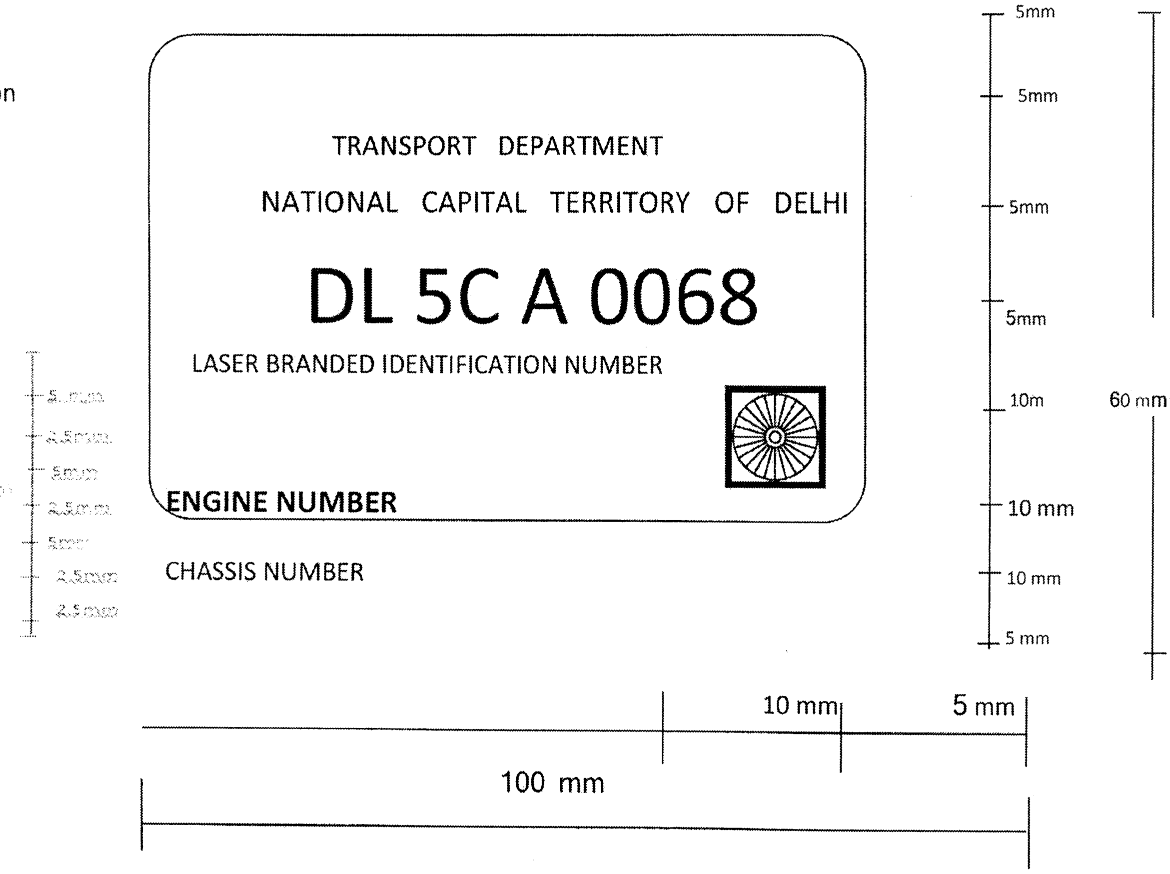

[सं0–आरटी–11028/01/2018–एमवीएल]

(अभय दामले)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

[DRAFT]

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi

The MOTOR VEHICLES (NEW HIGH SECURITY REGISTRATION PLATES) ORDER, 2018

S.O.____(E),- Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to notify certain standards in respect of the revised new system of high security registration plates for motor vehicles and the process used by a manufacturer or supplier for manufacturing or supplying such plates with reference to the amendments made in the Central Motor Vehicles Rules, 1989 by the Central Motor Vehicles (1st Amendment) Rules, 2001, it, therefore, in exercise of the powers conferred by the sub-section (3) of section 109 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), for The MOTOR VEHICLES (NEW HIGH SECURITY REGISTRATION PLATES) ORDER, 2001, the following shall be substituted, namely:—

1. This Order may be called as the Motor Vehicles (New High Security Registration Plates) Order, 2018.

2. It shall come into force on the 1st day of January, 2019.

3. Application. —This Order shall apply to motor vehicles as defined in clause (28) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).

4. A manufacturer of the motor vehicles or manufacturer of high security registration plates or the supplier of the high security registration plates shall comply with the following specifications, namely: —

   (i) The manufacturer of the motor vehicles or manufacturer of high security registration plates or the supplier of new High Security Registration Plates shall obtain a Type approval certificate from the Central Road Research Institute, New Delhi or any one of the testing agencies authorised by the Central Government under rule 126 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989. The vehicle manufacturers can manufacture

the High Security Registration Plates and obtain the Type approval as above, or procure the Type approved High Security Registration Plates from any manufacturer, possessing Type approval certificate, of such plates.

(ii) The registration plate shall conform to the specifications spelt out in rule 50 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

(iii) The High Security Registration Plate has to be guaranteed for the life of 15 years, as mentioned in Rule 50 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989. In the event of damage or withering of the plate or the registration mark due to natural usage before the expiry of the life specified in Rule 50, it shall be replaced by the motor vehicles dealer fixing such HSRP in the first place against the guarantee. In the case of old vehicles, the agency having supplied/ fixed such High Security Registration Plate, shall be responsible for such replacement at its own cost subject to the terms and conditions of engagement of such agency by the state concerned.

(iv) The replacement of any existing registration plate may be made by the concerned transport authority or its authorised agency or the motor vehicles dealer, as the case may be, only after ensuring that the old plate has been surrendered and destroyed.

(v) To protect against counterfeiting, a chromium-based hologram of the size 20 mm x 20 mm is to be applied by hot stamping on the top left-hand corner of the plate in both front and rear plates. The hologram shall contain CHAKRA in blue colour as given in the Annexure enclosed with this Order.

(vi) The permanent identification number of minimum 10 digits is to be laser branded into the reflective sheeting on the bottom left-hand side of the registration plate with the numeral size being 2.5 mm.

Provided that the permanent consecutive identification number shall be preceded by two alphabets representing the name of the vendor or the manufacturer or the supplier, as the case may be, for whom the type approval certificate is issued by the test agencies:

Provided further that the test agencies specified in column (2) of the Table below shall use the alphabets specified in column (3) of the said Table as under:

TABLE			
Sr. No	Name of Test Agency	First Alphabet	Second Alphabet
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Automotive Research Association of India, Pune	A to D	A to Z
2.	Central Institute of Road Transport, Pune	E to H	A to Z
3.	Central Road Research Institute, New Delhi	I to L	A to Z
4.	Global Automotive Research Centre, Chennai	M to P	A to Z
5.	Vehicles Research Development Establishment, Ahmednagar	Q to S	A to Z
6.	International Centre for Automotive Technology, Manesar	T to V	A to Z

Provided also that the thickness of the digits shall be 5mm for the front and rear registration plates and shall be 2.5 mm for the third registration plate, which shall be in the form of a sticker.

(vii) The hot stamping film to be applied on the letters/numerals of the licence number shall bear the inscription "INDIA". The letters "INDIA" shall be in blue colour with the font size of 10 (Ten) in Type Arial Bold script at 45 degrees' inclination with sequential lines being the mirror image of the other.

(viii) The third registration plate, in the form of a self-destructive type chromium based hologram sticker shall be of the size of 100 mm x 50 mm, is to be affixed on the inner side of left hand corner of windshield of the vehicle. The details on the sticker shall be (a) name of registering authority, (b) registration number of the vehicle, (c) laser branded permanent identification number, (d) engine number, and (e) chassis number of the vehicle. On the bottom of the right corner of the sticker, the chromium based hologram shall be applied but of a smaller size of 10 mm x10 mm. The registration number of the vehicle shall be in the centre with a letter size of 10 mm in height in the said sticker. The laser branded permanent identification number, followed by the engine number and the chassis

number, shall come in the bottom left side of the sticker with numeral size being 2.5 mm in each case. A depiction of the sticker is given in the sketch as specified in the Annexure annexed to this Order. The sticker should essentially be a diffraction foil film with high reflective index and shall have the chromium based hologram embedded.

(ix) A proper record of the manufacture and issue of registration plates shall be maintained by the motor vehicles manufacturer or the registration plate manufacturer, as the case may be. The agency responsible for its affixture on motor vehicles, shall also maintain the record of such plates and shall electronically link the permanent identification number to the registration database after their affixture on the motor vehicles. The motor vehicles manufacturer or the registration plate manufacturer, as the case may be, shall be responsible for compliance of this Order by the concerned agency.

(x) The incomplete plates or the security features cannot be sold separately by their manufacturers.

(xi) The type approval certificate issued for manufacturer of high security registration plates shall be liable for suspension or cancellation by the concerned testing agency for failure to comply with the stipulated provisions.

(xii) The registration plate fitted in the rear of the vehicle shall be fastened with non-removable/non-reusable snap lock system. For the sake of better security, at least two such snap locks shall be fitted.

(xiii) The replacement for an existing registration plate may also be made by the agency responsible for affixing the new plate, only after ensuring that the old plate has been surrendered and destroyed. Appropriate entries shall be made electronically, in the vehicle's registration data base on such replacement.

ANNEXURE

HOLOGRAM
(Front & Rear
Registration
Plate)

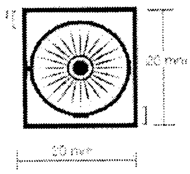

STICKER
(Third
Registration
Plate)

H = HOLOGRAM
(10 x 10 mm)

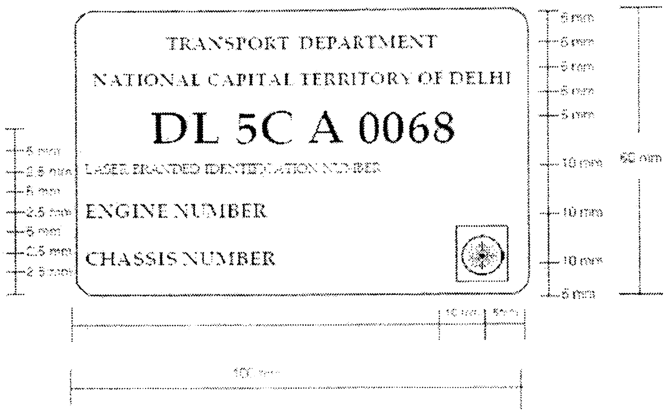

[No. RT-11028/01/2018- MVL]

(Abhay Damle)

Joint Secretary to the Government of India